MSTP/DY-No-746
1/10/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the day of 30th September, 2014

Income-tax

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by section 133C read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1\. (1) These rules may be called the Income-tax **(10th Amendment)** Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2\. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 12C, the following rule shall be inserted, namely:-

"Prescribed authority under section 133C

12D. The prescribed authority under section 133C shall be the Principal Director General or Director General or Principal Director or Director, as the case may be.

Explanation.- For the purposes of this rule, "Principal Director General or Director General or Principal Director or Director" means the Principal Director General of Income-tax or the Director General of Income-tax or the Principal Director of Income-tax or the Director of Income-tax to whom the Central Board of Direct Taxes may authorise to act as prescribed authority for the purposes of section 133C."

[Notification No.48 /2014/ F.No.142/8/2014-TPL]

Arju Garodia 30/9/14
(Arju Garodia)
Under Secretary to the Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (9th Amendment) Rules, 2014 vide notification S.O. No. 2487(E) dated 24th September, 2014.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 30सित, 2014

आय-कर

का0आ0.......(अ)- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 133ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (10वां संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी

12घ. धारा 133ग के अधीन विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक होगा ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक" से ऐसा आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर महानिदेशक या आयकर प्रधान निदेशक या आयकर

निदेशक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 133ग के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करे ।"।

[अधिसूचना सं0 58/2014, फा0सं0 142/8/2014-टीपीएल]

आरज़ू गारोडिया
(आरज़ू गरोडिया) 30/9/14
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आयकर (9 वां संशोधन) नियम, 2014 में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 2487, तारीख 25/9/15 द्वारा संशोधित किए गए ।